"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51-स] रायपुर, सोमवार, दिनांक 19 फरवरी 2007—माघ 30, शक 1928

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 फरवरी 2007

अधिसूचना

क्रमांक - 321/970/32/2006.- - छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 64 की उपधारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-2062/970/32/2006 रायपुर दिनांक 18-10-2006 द्वारा गठित पुरा विशेष क्षेत्र में नीचे अनुसूची-एक में दिये गए क्षेत्र को सम्मिलित करती है. पुनर्गठित पुरा विशेष क्षेत्र की सीमा नीचे अनुसूची-दो में दिये गए अनुसार होगी.

अनुसूची—एक

पुरा विशेष क्षेत्र में सम्मिलित किया गया क्षेत्र :-

छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 64 की उपधारा (1) तथा (2) के अंतर्गत गठित नया रायपुर के ग्राम कुरूद, नकटा, दरबा, बकतरा (प. ह. नं. 75/10) एवं खुटेरी.

अनुसूची—दो

पुनर्गठित पुरा विशेष क्षेत्र की सीमाएँ :-

उत्तर : तहसील आरंग के ग्राम नरदहा, पचेड़ा, चन्द्रखुरी, नगपुरा एवं संकरी की उत्तरी सीमा.

पूर्व : तहसील आरंग के ग्राम संकरी, बड़गांव, तोड़गांव, गोढ़ी एवं खुटेरी की पूर्वी सीमा.

दक्षिण : तहसील आरंग के ग्राम संकरी, गोढ़ी, खुटेरी, बकतरा, नकटा, कुरूद, धनसुली एवं नरदहा की दक्षिणी सीमा.

पश्चिम : तहसील आरंग के ग्राम खुटेरी, नकटा, कुरूद, धनसुली, नरदहा एवं संकरी की पश्चिमी सीमा.

Raipur, the 19th February 2007

NOTIFICATION

No.-321/970/32/2006.— In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub- section (3) of Section 64 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No: 23 of 1973), the State Government hereby includes the area given in Schdule-I in Pura Special Area Constituted vide Notification No. 2062/970/32/2006 Raipur Dated 18-10-2006. The limit of reconstituted Pura Special Area shall be given in Schedule-II below.

SCHEDULE—I

Area included in Pura Special Area :-

Kurud, Nakta, Darba, Baktara (PHN-75/10) and Khuteri Villages of Naya Raipur Area Constituted under Sub-section (1) & (2) of Section 64 Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973).

SCHEDULE—II

Limit of reconstituted Pura Special Area :-

North : Northern limit of Village Nardaha, Pacheda, Chandkhuri, Nagpura and Sankri of Tehsil Arang.

East : Estern limit of Village Sankri, Badgaon, Todgaon, Godhi and Khuteri of Tehsil Arang.

South : Southern limit of Village Sankri, Godhi, Khuteri, Bakatara, Nakta, Kurud, Dhansuli and Nardaha of Tehsil Arang.

West : Western limit of Village Khuteri, Nakta, Kurud, Dhansuli, Nardaha and Sankri of Tehsil Arang.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2007.